

**छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग**  
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) – 492001

रायपुर, दिनांक

**अधिसूचना**

**क्रमांक: 108/सी.एस.ई.आर.सी/2024**

विद्युत अधिनियम 2003 (वर्ष 2003 का क्रमांक 36) की धारा 181 (2), (जेडए) एवं (जेडबी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1)(i) सहपठित धारा 57 एवं 59 के अंतर्गत छ0ग0 राज्य विद्युत नियामक आयोग एतद् द्वारा (विद्युत वितरण में निष्पादन संबंधी मानक) विनियम, 2020 को संशोधित करता है।

**1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ एवं अनुप्रयोग;**

- 1.1 यह विनियम, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (विद्युत वितरण निष्पादन हेतु मानक) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2024 कहलायेगा।
- 1.2 यह विनियम, 01 अप्रैल, 2024 से प्रभावशील होगा।
- 1.3 इस विनियम का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में रहेगा।
- 1.4 यह विनियम, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी विद्युत वितरण लाइसेंसी तथा मानित लाइसेंसियों पर लागू होंगे।

**2. अनुसूची 1 के विनियम 3 के उप विनियम 3.1 का प्रतिस्थापन**

मुख्य विनियमों की अनुसूची 1 के विनियम 3 के उप विनियम 3.1 के स्थान पर, निम्नलिखित उप विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाता है : –

**3. मीटर संबंधित शिकायत**

- 3.1 शिकायत प्राप्त होने के उपरांत, वितरण लाइसेंसी त्रुटिपूर्ण/बिना कार्यरत (बंद, धीमें एवं तेजी से चलने) मीटर के पहचान हेतु निरीक्षण करेगा। यह निरीक्षण 'ए' संवर्ग के शहरों एवं नगरीय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 4 (चार) दिवस, 7 (सात) दिवस एवं 12 (बारह) दिवस की समय-सीमा में किया जाएगा। खराबी का पता चलने पर, वितरण लायसेंसी द्वारा मीटर को बदला जाएगा, जो 'ए' संवर्ग के शहर और नगरीय क्षेत्रों में चौबीस घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में बहत्तर घंटे से अधिक नहीं होगा।

यदि मीटर प्रथम दृष्टया दोषपूर्ण या जला हुआ या चोरी हुआ पाया जाता है, जिसका कारण उपभोक्ता नहीं है, तो लायसेंसी को आयोग द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर अपनी लागत पर एक नए मीटर के माध्यम से आपूर्ति बहाल करनी होगी।

यदि जांच के बाद यह पाया जाता है कि उपभोक्ता के जिम्मेदार कारणों से मीटर खराब हो गया है या जल गया है या चोरी हो गया है, तो आयोग द्वारा निर्दिष्ट आवश्यक शुल्क उपभोक्ता से वसूल किया जाएगा।

**3. अनुसूची-1 के विनियम 3 के उप विनियम 3.2 का प्रतिस्थापन**

मुख्य विनियमों की अनुसूची 1 के विनियम 3 के उप विनियम 3.2 के लिए निम्नलिखित उप विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाता है : -

3.2 जले हुए मीटर के मामले में वितरण लायसेंसी द्वारा मीटर को एक समयावधि के भीतर बदला जाएगा, जो श्रेणी-ए शहरों और शहरी क्षेत्रों में चौबीस घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में बहत्तर घंटे से अधिक नहीं होगी।

**4. अनुसूची-1 एवं II का अनुलग्नक का प्रतिस्थापना**

परफार्मेंस के मानक प्राप्त करने में विफलता पर उपभोक्ता को देय प्रतिकर का स्तर में अनुसूची-1 और II के अनुलग्नक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है: -

आयोग के आदेशानुसार

(सुधीर कुमार काले)  
उप सचिव

**अनूसूची-1 एवं II का अनुलग्नक**  
**परफार्मेंस के मानक प्राप्त करने में विफलता पर उपभोक्ता को देय**  
**प्रतिकर का स्तर**

सेवा का स्वरूप	निष्पादन के मानक अन्तर्गत सेवा प्रदाय करने के लिए अधिकतम समय सीमा	उल्लंघन की स्थिति में प्रभावित उपभोक्ता/ उपभोक्ताओं को देय प्रतिकर	
<b>1. आपूर्ति की बहाली</b>			
(क) फ्यूज-ऑफ-कॉल	'ए' संवर्ग के शहर एवं नगरीय क्षेत्रों में 4 (चार) घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में 24 (चौबीस) घंटे	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु 500/- रुपये	
(ख) लाईन ब्रेक डाऊन	माइनर ब्रेक डाऊन 6 (छः) घंटे मेजर ब्रेक डाऊन 24 (चौबीस) घंटे		'ए' संवर्ग के शहर एवं नगरीय क्षेत्रों में
	माइनर ब्रेक डाऊन 12 (बारह) घंटे मेजर ब्रेक डाऊन 2 (दो) दिवस		ग्रामीण क्षेत्रों में
(ग) वितरण ट्रांसफार्मर फेल्योर	'ए' संवर्ग के शहर एवं नगरीय क्षेत्रों में 24 (चौबीस) घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में 5 (पांच) दिवस		
(घ) जले मीटर (निम्नदाब)	'ए' संवर्ग के शहर 8 (आठ) घंटे नगरीय क्षेत्रों में 12 (बारह) घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में 2 (दो) दिवस		
(ङ) भूमिगत केबल में ब्रेक डाऊन	'ए' संवर्ग के शहर 12 (बारह) घंटे नगरीय क्षेत्रों में 24 (चौबीस) घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में 2 (दो) दिवस		
<b>2. सप्लाई की गुणवत्ता</b>			
(क) घोषित वोल्टेज की तुलना में निर्दिष्ट सीमा में वोल्टेज को मेन्टेन करना	2 (दो) दिवस यदि उल्लंघन ट्रांसफार्मर में पाए गए स्थानीय त्रुटि के कारण है। 10 (दस) दिवस जहां-जहां नेटवर्क में विस्तार/उन्नयन आवश्यक नहीं 120 (एक सौ बीस) दिवस जहां वितरण प्रणाली में अपग्रेडेशन आवश्यक है। सब-स्टेशन की आवश्यकता की स्थिति में 1 (एक) वर्ष	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु 500/- रुपये	

सेवा का स्वरूप	निष्पादन के मानक अन्तर्गत सेवा प्रदाय करने के लिए अधिकतम समय सीमा	उल्लंघन की स्थिति में प्रभावित उपभोक्ता/ उपभोक्ताओं को देय प्रतिकर
<b>3. मीटर</b>		
(क) त्रुटिपूर्ण/बिना कार्यरत (बंद, धीमें एवं तेजी से चलने) वाले मीटर संबंधी उपभोक्ता शिकायत प्राप्त होने पर मीटर का निरीक्षण	'ए' संवर्ग के शहर 4 (चार) दिवस नगरीय क्षेत्रों में 7 (सात) दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में 12 (बारह) दिवस	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु 500/- रुपये
(ख) मीटर के त्रुटि पूर्ण पाये जाने पर उसे बदलना	'ए' संवर्ग के शहर एवं नगरी क्षेत्रों में चौबीस (24) घंटे	
(ग) जले मीटर को बदलना	ग्रामीण क्षेत्रों में बहत्तर (72) घंटे	
<b>4. नए कनेक्शन/अतिरिक्त भार हेतु आवेदन</b>		
<b>4.1 कृषि को छोड़कर निम्नदाब कनेक्शन</b>		
(क) सामान्य कनेक्शन (सभी श्रेणी) (जहां विद्यमान डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स में अतिरिक्त/क्षमता उन्नयन/अपग्रेडेशन की आवश्यकता नहीं है।)	'ए' संवर्ग के शहर सहित नगरीय क्षेत्र में 7 (सात) दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में 15 (पंद्रह) दिवस	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु 500/- रुपये
(ख) सभी श्रेणी (i) जहां पॉवर सप्लाय हेतु डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन सहित डिस्ट्रीब्यूशन मेन्स में विस्तार आवश्यक है।	'ए' संवर्ग के शहर सहित नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 90 (नब्बे) दिवस	
<b>4.2 निम्नदाब कृषि कनेक्शन</b>		
(i) ऐसे मौसम में जहां खेत में पहुँच उपलब्ध हो, के समय कृषि कनेक्शन हेतु	विस्तार हेतु संपूर्ण व्यय का भुगतान करने के उपरान्त 90 दिवस में	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु 500/- रुपये
(ii) ऐसे मौसम में जहां खेत में पहुँच उपलब्ध नहीं हो, के समय कृषि कनेक्शन हेतु	विस्तार हेतु संपूर्ण व्यय का भुगतान करने के उपरान्त 180 दिवस में	

सेवा का स्वरूप	निष्पादन के मानक अन्तर्गत सेवा प्रदाय करने के लिए अधिकतम समय सीमा	उल्लंघन की स्थिति में प्रभावित उपभोक्ता/ उपभोक्ताओं को देय प्रतिकर
<b>4.3 उच्चदाब (एच.टी.) कनेक्शन</b>		
(क) आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त फिजिबिलिटी की संसूचना	07 (सात) कार्य दिवस	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु 500/- रुपये
(ख) आकलित शुल्क के भुगतान हेतु मांग पत्र जारी करना	30 (तीस) दिवस	
(ग) भुगतान एवं एग्रीमेन्ट के निष्पादन उपरान्त कार्य की पूर्णता के लिए समय	90 (नब्बे) दिवस	
(घ)		
(i) लाइसेंसी द्वारा मीटर एवं मीटर उपस्कर की स्थापना कार्य की पूर्णता उपरान्त तीन माह का नोटिस जारी करना	7 (सात) दिवस	
(ii) लाइसेंसी द्वारा विस्तार कार्य पूर्णता उपरान्त भार की विमुक्ति तथा विद्युत निरीक्षक से अनुमति हेतु आवेदन जमा करना	7 (सात) दिवस	
<b>5. भार में कमी</b>	आगामी बिलिंग माह के प्रथम दिवस से प्रभावशील	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु 500/- रुपये
<b>6. बिल भुगतान न होने की स्थिति में काटे गये कनेक्शन का पुनः जोड़ा जाना</b> (उपभोक्ता द्वारा समस्त देय राशि के भुगतान उपरांत)	शहर-8 (आठ) घण्टे नगरीय क्षेत्रों में-24 (चौबीस) घण्टे ग्रामीण क्षेत्र-2 (दो) दिवस उपभोक्ता द्वारा देय राशि के भुगतान से।	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु 500/- रुपये
<b>7. स्वामित्व का अन्तरण एवं सेवाओं में परिवर्तन</b>	<b>स्वामित्व</b>	
(क) स्वामित्व का अन्तरण	आवेदन की स्वीकृति तथा नये आवेदक द्वारा सप्लीमेन्ट्री एग्रीमेन्ट के निष्पादन उपरान्त दो बिल चक्र के भीतर	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु 500/- रुपये
(ख) उपभोक्ता सेवा में परिवर्तन	उपभोक्ता द्वारा आवश्यक भुगतान, यदि आवश्यक हो के भुगतान उपरान्त आगामी बिल चक्र के पूर्व	
(ग) निम्नदाब से उच्चदाब तथा उच्चदाब से निम्नदाब संवर्ग में परिवर्तन	तालिका 'क' के अनुसार	
<b>8. उपभोक्ता की क्लायत</b>		
(क) बिल की अप्राप्ती	शिकायत के पंजीकरण की तारीख से 3 (तीन) दिवस के अन्दर	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु 500/- रुपये
(ख) बिल भुगतान हेतु अपर्याप्त	बिल भुगतान हेतु निर्धारित अन्तिम तारीख में 2 (दो)	

सेवा का स्वरूप	निष्पादन के मानक अन्तर्गत सेवा प्रदाय करने के लिए अधिकतम समय सीमा	उल्लंघन की स्थिति में प्रभावित उपभोक्ता/ उपभोक्ताओं को देय प्रतिकर
समय	दिवस की समयावृद्धि	
(ग) बिलिंग संबंधी शिकायत	'ए' संवर्ग के शहर सहित नगरीय क्षेत्र में 7 (सात) दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में 15 (पंद्रह) दिवस	
9. उपभोक्ता मीटर के रीडिंग	प्रत्येक माह	प्रथम माह हेतु 500/- प्रथम माह उपरान्त प्रत्येक माह के विलंब हेतु 1000/-रुपये
10. उपभोक्ता द्वारा सभी औपचारिकताएँ पूर्ण करने के उपरान्त डिफॉल्ट की वापसी	60 दिवस	प्रत्येक दिवस के उल्लंघन हेतु ₹500/-रुपये
11. विष्वसनीयता हेतु सूचकांक को सीमा में मेन्टेन करने हेतु		
<b>SAIFI</b>	'ए' संवर्ग के शहर में प्रति उपभोक्ता 15 व्यवधान नगरीय क्षेत्र में प्रति उपभोक्ता 30 व्यवधान ग्रामीण क्षेत्र में प्रति उपभोक्ता 35 व्यवधान	प्रत्येक उल्लंघन हेतु ₹500/-रु प्रति उपभोक्ता के मान से
<b>SAIDI</b>	'ए' संवर्ग के शहर में 6 घंटे प्रति माह (360 मिनट/30) नगरीय क्षेत्र में 15 घंटे प्रतिमाह (900 मिनट/30) ग्रामीण क्षेत्र में 20 घंटे प्रतिमाह (1200 मिनट/30)	प्रत्येक घंटे के व्यवधान हेतु ₹500/-रु प्रति उपभोक्ता के मान से